

पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी,  
अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित/पत्रावली लोक  
अदालत कोर्ट में पेश हुयी पक्षकारान में  
समझाईश की गयी परन्तु तबीयत नही हुआ  
अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापिस  
लौटायी जावे। पक्षकारान न्यायालय में  
दिनांक.....को उपस्थित रहें।

5/6/18  
करनाराम

पीठासीन अधिकारी  
ए.सी.इ.एम.(FT) जाधपुर

28 APR 2018

कोर्ट के काम - 214 आदेश  
2148 2018 के विरुद्ध विराम  
के पेश हुयी

गुरुवार को अरिब  
विद्वान (वकील) विराम के  
अपन की वापिस को आगे  
जायी रहे सो कोर्ट अरिब  
नही है अतः अपन (वकील)  
विराम कोर्ट है  
28 APR 2018 को अरिब  
कोर्ट के काम को

अध्यक्ष क्लर्क एवं कार्यपालक मंत्री  
जाधपुर